इलाहाबाद विश्वविद्यालय / UNIVERSITY OF ALLAHABAD
राजभाषा प्रकोष्ठ / RAJBHASHA CELL
कक्ष सं. 12-13, प्रथम तल, तिलक भवन, सीनेट परिसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज.
ई-मेल rajbhasha@allduniv.ac.in मो. नं. 7535990036.

पत्रांक: रा.भा./का.ज्ञा./2026-27/ 709

दिनांक 06 जुलाई, 2026 ।

कार्यालय ज्ञापन

विषय : विश्वविद्यालय एवं इसके समस्त संघटक महाविद्यालयों के प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों में सरल, सहज एवं व्यावहारिक हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14011/01/2012-रा.भा. (नीति/के.अनु.-व्यूरो), दिनांक 28 मई, 2012 के संदर्भ में, कार्यालयीन कार्यो में **सरल, सहज, सुबोध एवं प्रचलित हिन्दी** के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने की अपेक्षा की गई है।

हिन्दी का प्रयोग सहज, सर्वग्राह्य, जनोन्मुख एवं व्यावहारिक हो, जिससे प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन में दक्षता, पारदर्शिता तथा सुगम सम्प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनावश्यक रूप से कठिन, अप्रचलित अथवा अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ शब्दों के प्रयोग को यथासंभव सीमित रखा जाए।

अतएव इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज एवं इसके समस्त संघटक महाविद्यालयों के समस्त अधिष्ठाताओं/विभागाध्यक्षों/निदेशकों/प्राचार्यों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पत्राचार, टिप्पणियों, आदेशों, अधिसूचनाओं तथा अन्य कार्यालयीन अभिलेखों में ऐसी हिन्दी का प्रयोग किया जाए, जो स्पष्ट, सुस्पष्ट, सर्वग्राह्य एवं प्रभावी सम्प्रेषण के अनुरूप हो। कार्य की आवश्यकता तथा विषयवस्तु की स्पष्टता की दृष्टि से प्रचलित एवं सर्वमान्य शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है।

राजभाषा नीति का उद्देश्य भाषा की क्लिष्टता को बढ़ावा देना नहीं, अपितु प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता तथा सुगम सम्प्रेषण को प्रोत्साहित करना है। अतः समस्त संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त भावना के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(प्रो. आशीष खरे)
कुलसचिव,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज ।

पत्रांक: रा.भा./का.ज्ञा./2026-27/

दिनांक 06 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, संघटक महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्य, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कुल अभियंता, समस्त संयुक्त कुलसचिव, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण;

(2) अध्यक्ष, आई.सी.टी. प्रकोष्ठ को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए;

(3) जन-संपर्क अधिकारी को इस आशय के साथ कि इस आदेश को विभिन्न संचार माध्यमों से प्रचारित किया जा सके;

(4) माननीय कुलपति महोदया के वैयक्तिक सचिव को माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ;

(5) कुलसचिव के वैयक्तिक सचिव को कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ ।

प्रवीण श्रीवास्तव 06.07.2026.
(प्रवीण श्रीवास्तव)
हिन्दी अधिकारी, (राजभाषा)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज ।

06/07/2026
(प्रो. कुमार वीरेन्द्र)
संयोजक, रा.भा.का.स. (राजभाषा)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज ।